कार्यालय, नगर पंचायत जनकपुर रोड।

पत्रांक– 52 / दिनांक– 24.01.19 /

प्रेषकः–

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जनकपुर रोड।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–01,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना।

विषयः– नगर पंचायत जनकपुर रोड के अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–177 / 15–16 (2011–12 से 13–14 का) का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नगर पंचायत जनकपुर रोड के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–177 / 15--16 (2011–12 से 13–14 तक) के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–3.11.18 को आहूत नगर पंचायत की आम बैठक से अनुमोदित कराकर इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्याथ भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक-यथोक्त

विश्वाभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जनकपुर रोड।

ज्ञापांक– 52 / दिनांक– 24.01.2019 /

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

विश्वाभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जनकपुर रोड।

कार्यालय,नगर पंचायत जनकपुर रोड।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–177/15–16 (अवधि–2011–12 से 2013–14) का अनुपालन प्रतिवेदन।

प्रस्ताव

क्र0 सं0	कंडिका सं0	अंकेक्षण आपत्ति	अनुपालन
01	01	निरीक्षित इकाई का नाम	अनुपालन की अवश्यक्ता नही।
02	02	परीक्षित लेखा अवधि	अनुपालन की अवश्यक्ता नही।
03	03	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	पंजियों का संधारण किया जा रहा है।
04	04	लेखा परीक्षा की अवधि	अनुपालन की अवश्यक्ता नही।
05	05	प्रशासन	अनुपालन की अवश्यक्ता नही।
06	06	लेखा परीक्षा के दल	अनुपालन की अवश्यक्ता नही।
07	07	निरीक्षण अधिकारी का नाम	अनुपालन की अवश्यक्ता नही।
08	08	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन महालेखाकार,बिहार, पटना को भेजा जा चुका है।
09	09	अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन की आवश्यक्ता नही
10	10	क्या कार्यपालक के साथ हाँ(25.03.15को)आपत्तियों पर चर्चा की गयी	चर्चा की गई।
11	11	लेखा परीक्षा परिणाम	अनुपालन की आवश्यक्ता नही
12	12	बजट	अनुपालन की आवश्यक्ता नही है।
13	13	आय–व्यय	अंकेक्षण के दौरान अंकेचकों द्वारा रोकड़बही के वित्तीय वर्ष–2010–11 का अंतशेष एवं 2011–12 को प्रारंभिक शेष एवं आपत्तियों का सुधार कर लिया गया है।
			परिशिष्ठ–1
14	14	बैंक खाता एवं रोकड़बही का अंतशेष	अंकेक्षकों के सुझाव के आधर पर बैंक समाधान विवरणी तैयार किया जा रहा है। जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।
			भाग–2 (ख)
10	01	तेरहवीं वित आयोग मद की राशि का विचलन–10.10लाख	नगर पंचायत जनकपुर रोड को तेरहवीं वित्त आयोग की राशि विभिन्न घटकों में व्यय हेतु प्राप्त हुआ था जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन एवं सड़कों में प्रकाश व्यवस्था पर नगर पंचायत में पूर्व से उपलब्ध राशि में से यथेष्ट राशि व्यय हो चुका है। दूसरे घटक पाईप जलापूर्ति के तहत जल निकासी की व्यवस्था हेतु जनता की मांग एवं दवाब को देखते हुए तथा बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जल

			निकासी की मुख्य नाला एवं नाला से जुड़े हुए कुछ सड़कों के निर्माण कराया गया है। कर्णांकित राशि से रैनबसेरा एवं ओल्डएज होम के निर्माण के लिए नगर पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत उपयुक्त भूमि नही रहने एवं सरकारी भूमि उपलब्ध नही रहने के कारण निर्माण कार्य नही कराया जा सका। उक्त योजना में अवशेष राशि को विभाग द्वारा कर्णांकित योजनाओं में व्यय कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः अंकेक्षण में विचलन सम्बंधी उठाई गई आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।
11	02	तेरहवीं वित की राशि को अवरूद्ध रखा जाना।–39.99लाख	नगर पंचायत जनकपुर रोड में 13वीं वित आयोग मद में उपलब्ध राशि से कम व्यय होने का कारण था कि नगर पंचायत में सरकार द्वारा कनीय अभियंता का पद स्वीकृत नही रहने से प्रखंड कार्यालय, पुपरी के कनीय अभियंता नगर पंचायत के योजनाओं के तकनीकी कार्य के लिये प्रतिनियुक्त थे। परन्तु प्रखंड के कार्यों के दवाब के कारण वे नगर पंचायत के योजनाओं के प्राक्कलन आदि समय पर उपलब्ध नही कराने के कारण योजनाओं में राशि का व्यय ससमय नहीं हो सका। अंकेक्षण के सुझाव के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन के साथ अवरूद्ध योजनाओं को पूरा कर तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेज दिया गया है।
12	03	विविध मदों से कार्यान्वित योजनाएं	नगर पंचायत के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव के अनुसार संवेदकों से योजनाओं के कार्यान्वयन में किये गये विलम्ब हेतु शुल्क वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की गई है तथा स्वीकृत एवं अस्वीकृत निविदाओं की तुल्नातमक विवरणी संबंधित संचिका मे पारदर्शिता हेतु रखी गई है। योजनाओं के निर्माण स्थल पर सूचना पट्ट एवं फोटोग्रफी लगाने हेतु कनीय अभियंता को निदेशित किया गया है। लेखा परीक्षा में आपत्ति के अन्तर्गत संबंधित संचिका में संधारित किया गया है। अतः मापी पुस्त में उठायी गई आपत्ति से मुक्त किया जा सकाता है।
13	04	सैरातों की बन्दोबस्ती नही होने से राजस्व हानि– 2.37लाख	नगर पंचायत जनकपुर के अन्तर्गत सैरातों की बन्दोवस्ती हेतु निविदा प्रकाशन हेतु प्रभात खबर मुजफ्फरपुर को भेजा गया था। परन्तु विज्ञापन का प्रकाशन समय पर नही होने के कारण एवं विलम्ब को देखते हुए विभागीय रूप से लालधारी प्रसाद प्रभारी तहसीलदार से सैरातों से वसूली गई राशि मा0– 79100.00रूप्ये जमा किया गया। नगर पंचायत में कर्मचारियों की कमी के कारण व्यावसायिक वाहनों एवं सड़क किनारे बालू, मिट्टी दूकानदारों से कौड़ी की

6/11/19

			वसूली नही हो सकी, जिसके कारण राजस्व की हानि पर अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्ति से मुक्त किया जा सकता। अगले वित्तीय वर्ष से निविदा ससमय की जायेगी।
14	05	बन्दोबस्ती में मुद्रांक शुल्क नही लिये जाने से राजस्व हानि–42000.00	नगर पंचायत के अंतर्गत वर्ष–2013–14 में चार बैरियर की बन्दोबस्ती मो0–1400000.00रूप्ये में सर्वाधिक बोली लगाने वाले श्री राजकुमार शर्मा को आवंटित किया गया था विभागीय आदेश के आलोक में बैरियर से वसूली बंद कर दिया गया।विभागीय पत्र के आलोक मे मात्र तीन माह के पश्चात ही श्री शर्मा को मात्र तीन माह की बन्दोबस्ती की राशि कटौती कर अवशेष राशि वापस कर दी गई।
15	06	कम जमा/नही जमा	नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा वसूली गई राशि के विरूद्ध कम जमा राशि के संबंध मे अंकेक्षण में उठाई गई आपत्ति के अनुसार संबंधित कर्मचारियों द्वारा राशि नगर पंचायत कोष में जमा कर दिया गया है। परिशिष्ट–02 एंव 03
16	07	निर्धारित वसूलनीय गृहकर की राशि से कम वसूली किया जाना।	अंकेक्षण प्रतिवेदन में गृहकर के रूप में वसूली गई राशि मो0–440.00 रूपये को नगर पंचायत कोष में संबंधित कर्मी द्वारा जमा कर दिया गया है। परिशिष्ट–04
17	08	संवेदक को अधिक भुगतान–1000	नगर पंचायत के अन्तर्गत योजना सं0–5/11–12 के संवेदक को लिपकीय भूल से मो0–1000.00 रूप्ये अधिक भुगतान की गई राशि को नगर पचायत कोष में करने हेतु निदेशित किया गया है। परिशिष्ट–05
18	09	श्रम उपकर की कटौती नही–55980.00	नगर पंचायत के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात संवेदकों के विपत्रों में से श्रमकर की कटौती कर श्रमायुक्त, बिहार को भेजा जाना था जो जानकारी के अभाव में नही भेजा जा सका था। अंकेक्षण आपत्ति के अनुसार श्रम उपकर भी कटौती हेतु, प्राक्कलन में प्रावधान करने हेतु कनीय अभियंता को निदेशित किया गया है एवं तदनुसार कटौती की गई राशि को संबंधित शीर्ष में जमा करा दी जायेगी।
19	10	एस जे एस आर वाई अंतर्गत संदिग्ध प्रशिक्षण पर व्यय दर्शाई गई राशि:11.21 लाख	नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार बी0पी0एल0 परिवारों के प्रशिक्षु युवक/युवतियों को प्रशिक्षण देने हेतु विभाग द्वारा प्रेषित सूची में से तीन संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु चयन किया गया था। प्रशिक्षण के उपरान्त संस्थाओं द्वारा मो0–3737000.00 रूप्ये के भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत किया गया जिसके विरूद्ध नगर पंचायत द्वारा मो0–1121100.00 रूप्ये मात्र भुगतान किया गया तथा शेष मो0–1881380.00 रूप्ये नगर पंचायत कोष में जमा है, जो तीनों संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के पश्चात

			प्रमाण–पत्र देने के साथ ही रोजगार मुहैया कराने संबंधी सूचना नगर पंचायत को प्राप्त होने पर नियमानुकुल भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। तत्संबंधी सूचना की मांग संस्थाओं से की गई है जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। इसके साथ ही **SJSRY** के अन्तर्गत अन्य घटाकों में अव्यवहृत राशि को विभागीय निर्देश प्राप्त कर व्यय अथवा वापस किया जायेगा।
20	11	शिक्षा एवं स्वास्थय उपकर की राशि सरकार के शीर्ष में जमा नही– 5.60लाख	नगर पंचायत के अन्तर्गत वसूली गई होल्डींग टैक्स के साथ शिक्षा सेस एवं स्वास्थय सेस का 10 प्रतिशत वसूली प्रभार काटकार शेष राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कराने हेतु अंकेक्षण प्रतिवेदन मे सुझाव दिया गया है । पूर्व में जमा राशि में से शिक्षा स्वास्थय उपकर की राशि की गणना कर संबंधी शीर्ष मे जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में होल्डिंग में ही राशि सन्निहत है। जिसका अनुपालन कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
21	12	संविदा पर नियुक्त कर्मियों पर व्यय– 2. 61 लाख	नगर पंचायत जनकपुर रोड में कर्मचारियों के सेवानिवृति के पश्चात कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या की कमी के कारण कार्यालय के कार्यों के सम्पादन में कठिनाई हो रही थी तदानुरूप बोर्ड के पारित प्रस्ताव के निर्णय के आधार पर संविदा पर कर्मचारियों से कार्य कराया गया था। नगर पालिका अधिनियम 2007 में संविदा पर कर्मचारियों को रखने का प्रावधान है जिसके आलोक में संविदा रखने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था।
22	13	दैनिक वेतन भोगी कर्मियों पर अप्राधिकृत व्यय–6.99 लाख।	नगर पंचायत जनकपुर रोड के अन्तर्गत [illegible] वार्डों में स्थित सड़कों एवं नालाओं की सफाई कराने हेतु सफाई मेहतरों की भारी कमी है, के कारण सरकार द्वारा पदों की स्वीकृति नही दी गई है। जबकि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कराने हेतु सरकार द्वारा बार–बार निर्देश दिया गया है। बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दैनिक सफाई मेहतरों को रखकर सफाई व्यवस्था चालू रखा गया है जिसकी स्वीकृति सरकार से प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
23	14	आयकर वैट एवं रॉयल्टी की रशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नही	अंकेक्षण के दौरान वर्ष–2011–12 से 13–[illegible] तक विभिन्न मदों में आयकर वैट एवं रॉयल्टी के मद में कटौती की गयी राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर दी गयी है। परिशिष्ट–06
			भाग–3
24	01	अनुदान पंजी का संधारण नही।	कार्यालय के कर्मी के अभाव में ससमय अनुदान पंजी का संधारण नही हो सका है। अंकेक्षण दल के सुझाव के आधार

			पर अनुदान पंजी संधारण कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
25	02	वार्षिक लेखा तैयार नही	अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षकों के द्वारा दर्शाये गये निर्देशों के आलोक में वार्षिक लेखा प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से तैयार कर लेखा परिक्षा में प्रस्तुत किया जाऐगा।
26	03	आंतरिक अंकेक्षण नही कराया जाना।	आंतरिक लेखा परिक्षा द्वारा आंतरिक अंकेक्षण कराने का सूझाव दिया गया है। अतः नगर पंचायत जनकपुर रोड का आंतरिक अंकेक्षण सक्षम पदाधिकारी द्वारा लेखा की जॉच हेतु आवश्यक कारवाई की जा रही है।
27	04	गृह पुनरीक्षण नही होने से राजस्व की क्षति।	नगर पंचायत कार्यालय में टैक्स वसूली हेतु एक कर्मी कार्यरत है जिसे टैक्स वसूली का कार्य लिया जाता है। कर्मचारियों की कमी के कारण गृह का सर्वेक्षण नही कराया जा सका था। विदित हो की गृह कर का सर्वेक्षण एवं पुनरीक्षण कार्य कर्मी द्वारा रखकर कराया जाता है।
28	05	सैरातों का नगर पंचायत में हस्तांतरण नही	नगर पंचायत क्षेत्रांन्गर्त हाट गुदरी बाजार आदी को नगर पंचायत में हस्तांतरण नही किया गया है जिससे नगर पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही है। पूर्व में जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी एवं आयुक्त महोदय मुजफ्फरपुर से पत्राचार होने के पश्चात भी अभी तक सैरातों का हस्तांतरण नगर पंचायत को नही किया गया है। पूनः सैरातों का हस्तांतरण करने हेतु पत्राचार की प्रकिया अपनायी जा रही है। **परिशिष्ट–08**
29	06	मोबाइल टावर से निबंधन शुल्क की वसूली नही किया जाना।	नगर पंचायत अंतर्गत मोबाईल टावर से निबंधन शुल्क एवं नवीकरण शुल्क हेतु बार–बार नोटिस दिया जाता है फिर भी उनके द्वारा निबंधन शुल्क की राशि नही जमा की जा रही है। अंकेक्षण दल के सुझाव के आधार पर पुनः मोबाईल टावर को शुल्क जमा करने हेतु आदेश दि जा रही है **परिशिष्ट–09**
30	07	चतुर्थ राज्य वित अंतर्गत प्राप्त अनुदान की उपयोगिता निराशा जनक।	अंकेक्षणा दल द्वारा चतुर्थ राज्य विता आयोग में व्यय की गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र निराशा जनक बताई गई। इस संबंध में चतुर्थ राज्य विता आयोग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है। **परिशिष्ट–10**
31	08	गृह कर की वसूली संतोषप्रद नही	नगर पंचयात जनकपुर रोड अंतर्गत जनकपुर रोड कार्यालय में गृह कर वसूली हेतु विभागीय निर्देश के आलोक में गृह कर की वसूली हेतु 4 प्रतिशत कमीशन पर कर वसूली कर्त्ता रख कर गृह कर की वसूली करायी जा रही है। **परिशिष्ट–07**
32	09	कय की गयी सामग्री की भंडार पंजी में प्रविष्टी नही	अंकेक्षण के दौरान सामग्री को भंडार पंजी म प्रविष्टी नही होने की आपत्ति की गई है। इस संबंध में अंकेक्षण दल के सुझावप र भंडार पंजी में सामग्री की प्रविष्टी कर दी गई है। **परिशिष्ट–11**
33	10	अग्रीम पंजी का संधारण नही	अंकेक्षण के दौरान अग्रीम पंजी का संधारण नही होने की आपत्ति की गई है। इस संबंध में अंकेक्षण दल के सुझाव पर

			अग्रीम पंजी का संधारण कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
	11	स्वीकृत पद एवं कार्यरत बल	अंकेक्षण के दौरान स्वीकृत पद एवं कार्यरत बल नगर पंचायत में स्वीकृत बल के कमी के कारण कार्यों का संपादन ससमयय नही हो पा रहा है। अतः बोर्ड के निणय के आलोक में अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु विभाग को पत्र दिया गया है।
35	12	योजना की भौतिक स्थिति	अंकेक्षण के दौरान उठाये गये संबंध में कहना है कि योजनाओं का कार्यनवयन कार्यादेश के दिये समय सीमा के अंदर कराने की कारर्वाइ की जाएगी।

विश्वासभाजन
16/1/19

कार्यपालक पदाधिकारी
16/1 नगर पंचायत जनकपुर रोड।